ालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/03/2023 तारीख रजू.........................

महेन्द्र बनाम पूरण वगैरा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2023	वकिल प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 266, 267, 268, 270, 286, 287, 288, 289, 290, 125, 133, वाके ग्रम घोसराना तहसील कठूमर में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनां क 09.06.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 09.06.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0	
9/6/23	मुताबिक ... पत्रावली दिनांक ... को पेश हो।	
10/11/23	मुताबिक ... पत्रावली दिनांक 12/1/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:25:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार की तारी...
12/1/24	मुताबिक पंजीकरण पत्र/P.O. बाबत ... कार्यवाही दिनांक 21.5.24 को पेश हो।	
9/5/24	मुताबिक पंजीकरण पत्र/P.O. बाबत ... कार्यवाही दिनांक 27/6/24 को पेश हो।	
03/6/24	पत्रावली आज वकील अर्जी के प्रार्थना-पत्र पर मूल वाद के साथ पेश हुई। अर्जी की ओर से श्री वकील अर्जी कृपाशंकर (?) ने वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली व प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। आदेशिका पर अर्जी के हस्ताक्षर कराये गये जिनकी पहचान अर्जी अधिवक्ता द्वारा करायी गयी। अतः अर्जी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर वकील अर्जी के प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली शामिल मुताबिक होकर दर्ज नम्बर से कम हो मूल वाद के साथ संलग्न रहे। हुक्म SJM 03/6/24	
मैं अपना वाद को नहीं चलाना चाहता हूं। महेन्द्र सिंह Idn [illegible] 3/6/24		

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:25:18 IST
Reason: SelfAttested